The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 4 | April 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

National Education Policy 2020: Measures for Reform in Teacher Education

Praveen Kumar[1], Pawak Agrawal[2] & Dr. Tanuja Bhatt[3]

[1]Senior Research Fellow, Department of Education, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur Nagar, U.P., Bharat; ORCID: https://orcid.org/0009-0005-5120-4403

[2]Senior Research Fellow, Department of Education, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur Nagar, U.P., Bharat; ORCID: https://orcid.org/0009-0002-6946-5001

[3]Assistant Professor, Department of Education, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University, Kanpur Nagar, U.P., Bharat; ORCID: https://orcid.org/0009-0000-4203-5293

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.20144180

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 27-04-2026

Published: 10-05-2026

Keywords:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अध्यापक शिक्षा, बहु-विषयक संस्थान, चार वर्षीय एकीकृत बी.एड., सतत व्यावसायिक विकास, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

ABSTRACT

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, जिसे लगभग 34 वर्षों के दीर्घ अंतराल के उपरांत अधिसूचित किया गया, भारत के शैक्षिक परिदृश्य में एक दूरदर्शी, व्यापक एवं परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरकर सामने आई है। यह नीति इस मूलभूत सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार के आधारभूत एवं संरचनात्मक परिवर्तन के केंद्र में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक होनी चाहिए। प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता, समता तथा संस्थागत अखंडता को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित संरचनात्मक एवं नीतिगत सुधारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना है। नीति के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत शिक्षण व्यवसाय हेतु न्यूनतम योग्यता के रूप में चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम को अनिवार्य बनाने तथा वर्ष 2030 तक अध्यापक शिक्षा को क्रमिक रूप से बहु-विषयक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के अंतर्गत समाहित किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त, निम्न-स्तरीय एवं मानकहीन स्वतंत्र अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध कठोर नियामकीय कार्रवाई का प्रावधान भी नीति में स्पष्ट रूप से निहित है। शिक्षकों के सतत एवं व्यावसायिक उन्नयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में सहभागिता तथा शिक्षकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers – NPST) के विकास पर विशेष बल प्रदान किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन अध्यापक शिक्षा की पाठ्यचर्या में भारतीय ज्ञान-

परंपरा, अनुभवात्मक अधिगम तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभावी एकीकरण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। साथ ही दीक्षा एवं स्वयं जैसे डिजिटल मंचों के उपयोग को अध्यापक शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि वित्तीय निवेश—विशेषतः शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 6 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने की चुनौती तथा डिजिटल विभाजन जैसी संरचनात्मक बाधाएँ विद्यमान हैं, तथापि इन नीतिगत सुधारों का प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन शिक्षकों को सशक्त, दक्ष एवं उत्तरदायी बनाते हुए भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, जिसे लगभग 34 वर्ष पश्चात् लागू किया गया (गुप्ता एवं पाल, 2023), भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक, दूरदर्शी एवं परिवर्तनकारी सुधारात्मक पहल के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं, समकालीन वैश्विक अपेक्षाओं तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुनर्संरचित करना है (गुप्ता एवं पाल, 2023; शिक्षा मंत्रालय, 2020)। यह नीति भारतीय परंपरा, सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्यों की आधारभूमि को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए शिक्षा प्रणाली, उसके नियमन, प्रशासन तथा शासन-व्यवस्था सहित समस्त आयामों में संरचनात्मक सुधार एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। नीति का मूल उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता, समता (इक्विटी) एवं संस्थागत अखंडता को सुदृढ़ करते हुए वर्तमान अधिगम परिणामों तथा अपेक्षित शैक्षिक लक्ष्यों के मध्य विद्यमान अंतराल को न्यूनतम करना है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

यह नीति इस मूलभूत धारणा पर आधारित है कि शिक्षा प्रणाली में प्रस्तावित आधारभूत परिवर्तनों के केंद्र में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए (गुप्ता एवं पाल, 2023; शिक्षा मंत्रालय, 2020)। शिक्षकों को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु सभी आवश्यक प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं, क्योंकि वही समाज एवं राष्ट्र के भावी नागरिकों के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं मूल्यों के वास्तविक निर्माणकर्ता होते हैं (सिंह, 2022)। इस संदर्भ में, भावी पीढ़ी के निर्माण हेतु सक्षम, दक्ष एवं उत्तरदायी शिक्षकों के विकास में अध्यापक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय मानी गई है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; दीक्षित, 2021; पाटीदार, 2021)।

यद्यपि, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा आयोग (2012) ने यह तथ्य उजागर किया था कि 10,000 से अधिक स्वतंत्र (स्टैंड-अलोन) अध्यापक शिक्षा संस्थान (टीईआई) गुणवत्ता-संवर्धन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में असफल रहे थे, अपितु अनेक संस्थान अत्यधिक शुल्क लेकर डिग्रियों के व्यावसायीकरण में संलग्न पाए गए (शिक्षा मंत्रालय, 2020; सिंह एवं तिवारी, 2021)। शिक्षण व्यवसाय की गरिमा की पुनर्स्थापना तथा शिक्षा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति में ऐसी नियामक प्रणाली के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसे निम्न-स्तरीय एवं अप्रभावी अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध कठोर नियामकीय कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होगा (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक शिक्षा के स्वरूप एवं संरचना में व्यापक एवं मूलभूत परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करती है (दीक्षित, 2021; गुप्ता एवं पाल, 2023)। नीति में शिक्षण व्यवसाय हेतु न्यूनतम योग्यता के रूप में चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम को अनिवार्य बनाने की अनुशंसा की गई है, जिसे वर्ष 2030 तक प्रभावी रूप से लागू किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; पाटीदार, 2021)। इस पहल का प्रमुख उद्देश्य प्रतिभाशाली एवं मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षण व्यवसाय की ओर आकर्षित करना है। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 अध्यापक शिक्षा को क्रमिक रूप से बहु-विषयक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के अंतर्गत समाहित किए जाने का समर्थन करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; पाटीदार, 2021; सिंह, 2022)। शिक्षकों के कार्य-निष्पादन एवं योगदान के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को सुनिश्चित करने हेतु नीति शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) के विकास पर बल देती है। साथ ही, प्रत्येक शिक्षक से अपने व्यावसायिक कौशल एवं दक्षताओं के निरंतर संवर्धन हेतु प्रतिवर्ष लगभग 50 घंटों के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) कार्यक्रमों में स्वैच्छिक सहभागिता की अपेक्षा की गई है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; सिंह एवं भारद्वाज, 2021)। इन महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं का प्रभावी क्रियान्वयन अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं प्रभावशीलता में अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य सिद्ध होगा (गुप्ता एवं पाल, 2023)।

आवश्यकता एवं महत्त्व

अध्यापक राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया के केंद्रीय स्तंभ माने जाते हैं (खान एवं उमैर, 2021; सिंह एवं भारद्वाज, 2021), क्योंकि वे न केवल विद्यार्थियों के भविष्य को आकार प्रदान करते हैं, बल्कि समाज में सर्वाधिक सम्मानित एवं उत्तरदायी वर्ग के रूप में पुनर्स्थापित होने की अपेक्षा भी रखते हैं (शर्मा, 2020)। शिक्षा व्यवस्था में मौलिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने तथा राष्ट्र को 21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकताओं एवं मानकों के अनुरूप विकसित करने में अध्यापक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक मानी जाती है (दीक्षित, 2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का निर्माण भारत की प्राचीन एवं सनातन ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत के आलोक में किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करना है (कुमार, 2020)।

अध्यापक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता इसलिए भी अनुभव की गई है क्योंकि शिक्षकों की उपलब्धता तथा उनके गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का क्षेत्र लंबे समय से विविध चुनौतियों का सामना करता रहा है (सिंह एवं तिवारी, 2021)। यद्यपि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किए गए हैं, तथापि इन उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है। साथ ही, नियामक तंत्र की सीमाओं एवं विफलताओं के कारण न तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सका है और न ही अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ रूप से लागू किया जा सका है (सिंह एवं तिवारी, 2021)। अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को तकनीकी दक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानवीय मूल्यों के समन्वित विकास के माध्यम से सशक्त एवं सक्षम बनाया जाए (लता एवं अन्य, 2020), ताकि वे आत्म-अधिगम, स्वतंत्र चिंतन तथा नवाचारी दृष्टिकोण का विकास कर सकें। इस परिप्रेक्ष्य में, यह नीति शिक्षा को एक सशक्त, जीवंत एवं न्यायसंगत ज्ञान-समाज में रूपांतरित करने की दिशा में प्रत्यक्ष योगदान प्रदान करेगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगा (कुमार, 2020)।

संबंधित साहित्य की समीक्षा

पाटीदार, जितेन्द्र कुमार (2021) द्वारा **'चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम: उद्भव से अब तक'** नामक शीर्षक वाले शोध-पत्र का अध्ययन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता-उपरांत भारत में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, विशेषतः माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में, उसके उद्भव, गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा प्रभावशीलता का विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत करना था। शोध पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम को विद्यालयी अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में अनिवार्य बनाने की अनुशंसा की गई है। इस कार्यक्रम को उच्चतर माध्यमिक (+2) शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह अवधारणा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) द्वारा बहुउद्देशीय विद्यालयों की अनुशंसा तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) में प्रस्तावित एकीकृत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

कार्यक्रम की उत्पत्ति के संदर्भ में शोध में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 1961 में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों—अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर—की स्थापना का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम के संचालन एवं विकास की जिम्मेदारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) को सौंपी गई। तथापि, इस कार्यक्रम (बी.ए.-बी.एड.) का प्रारंभ सर्वप्रथम वर्ष 1960 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रायोगिक पहल के रूप में किया गया था। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में विद्यार्थी-अध्यापकों में उदार एवं समावेशी अधिगम दृष्टिकोण का विकास करना, लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप मूल अभिवृत्तियों का निर्माण करना, विषय-वस्तु संबंधी सिद्धांतों एवं व्यावहारिक पक्षों का व्यापक ज्ञान प्रदान करना, तथा प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं एवं विधियों की खोज एवं प्रयोग के प्रति दक्षता विकसित करना सम्मिलित था।

शोध पत्र के निष्कर्षों से यह प्रतिपादित होता है कि भावी पीढ़ी के निर्माण तथा दक्षता-आधारित अध्यापकों की तैयारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 2030 तक अध्यापक शिक्षा की मुख्यधारा में अनिवार्य रूप से समाविष्ट करना आवश्यक होगा। इसके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकार, नियामक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित हितधारकों की सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप में परिकल्पित की गई है (पाटीदार, 2021)।

सिंह, जगदीश एवं भारद्वाज, बी.पी. (2021) द्वारा 'परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में स्कूली अध्यापकों की चुनौतियों का विश्लेषण तथा सार्थक सुझाव' नामक शीर्षक वाले शोध-पत्र का अध्ययन किया गया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 में स्कूली अध्यापकों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों एवं अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान चुनौतियों का विश्लेषण करना तथा प्रभावी एवं सार्थक सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना था। शोध के अंतर्गत विचारित प्रमुख आयामों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुशंसित अध्यापक भर्ती एवं तैनाती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा सुधार की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों की सेवा-स्थितियों, कार्य-परिवेश तथा संस्थागत संस्कृति में सुधार से संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण किया गया। शोध में अध्यापकों के सतत व्यावसायिक विकास (सी.पी.डी.) एवं करियर उन्नति से संबंधित समस्याओं को भी रेखांकित किया गया, साथ ही अध्यापकों के

लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास तथा विद्यालयी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों हेतु अतिरिक्त विशेषज्ञ अध्यापकों की आवश्यकता पर भी विमर्श प्रस्तुत किया गया।

शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन एवं विश्लेषण हेतु भारत सरकार की विद्यालयी शिक्षा से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के अंतर्गत विकसित परफ़ॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पी.जी.आई.) 2018–19 के आँकड़ों को आधार बनाया गया। अध्ययन में पी.जी.आई. के अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर अध्यापकों से संबंधित विविध क्षेत्रों में विद्यमान चुनौतियों को समझने एवं उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। शोध में न्यादर्श के रूप में पी.जी.आई. में सम्मिलित भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विद्यालयी शिक्षा से संबंधित प्रदत्तों का व्यवस्थित अवलोकन एवं परीक्षण किया गया।

अध्ययन से सम्बन्धित प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या करने हेतु विभिन्न सांख्यिकीय आँकड़ों (जैसे: प्रतिशत, पी.जी.आई. स्कोर) का प्रयोग किया गया है, जो पी.जी.आई. के संकेतकों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अर्जित किए गए थे। अध्ययन के परिणाम अनुसार निम्न थे: राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने अध्यापक भर्ती और स्थानांतरण प्रक्रियाओं को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन एन.ई.पी. 2020 की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य की गति को तीव्र करने की आवश्यकता है। वर्ष 2020-21 में देशभर के सरकारी विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 17 प्रतिशत (10.60 लाख) पद रिक्त थे, जिससे कार्यरत अध्यापकों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ रहा था। अध्यापकों के मूल्यांकन के विषय में सभी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण रूप से सजग नहीं हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास के उपरांत उनका उपयोग सुनियोजित ढंग से सुनिश्चित करना आवश्यक है। निष्कर्ष में पाया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रिक्त पदों को पारदर्शी और वस्तुपरक मापदंडों के आधार पर चरणबद्ध तरीके से भरना होगा। इसके अतिरिक्त, अंशकालिक (पार्ट-टाईम) तथा संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था को बंद करते हुए स्थायी व्यवस्था पर भर्ती करना , और करियर प्रगति के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास को वास्तविक रूप प्रदान करना अनिवार्य होगा (सिंह एवं भारद्वाज, 2021)।

सोमू सिंह (2022) द्वारा 'अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं का विश्लेषण एवं क्रियान्वयन की संभावित रूपरेखा' नामक शीर्षक पर शोध किया गया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान भारतीय अध्यापक शिक्षा व्यवस्था तथा विद्यालयी अध्यापकों से संबंधित समकालीन एवं मूलभूत समस्याओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करना था। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 में उल्लिखित नवीन एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों, अध्यापक शिक्षा के बहु-विषयी वातावरण में संगठन, तथा शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एन.पी.एस.टी./NPST) के निर्माण जैसी महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करना भी इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके अतिरिक्त, शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा संबंधी अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझावात्मक रूपरेखा तथा अन्य विचारणीय आयामों को भी प्रस्तुत किया गया।

शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन हेतु भारत सरकार के 'सार्थक' दस्तावेज़ तथा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (CTET) के वर्षवार आँकड़ों (2011, 2018, 2019 एवं 2021) का उपयोग किया गया। इसके साथ ही, अध्यापक शिक्षा के समक्ष विद्यमान चुनौतियों को प्रामाणिक एवं यथार्थपरक रूप में स्पष्ट करने के उद्देश्य से केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में संपन्न शोध अध्ययनों के निष्कर्षों का भी संदर्भ लिया गया। शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में केंद्रीय

अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या—जो वर्ष 2011 में 6,99,421 से बढ़कर वर्ष 2021 में 23,51,671 तक पहुँची—तथा देशभर में संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स) की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन से संबंधित प्रदत्तों के विश्लेषण एवं व्याख्या हेतु उत्तीर्ण प्रतिशत (Passing Percentage) जैसी सांख्यिकीय प्रविधि का उपयोग किया गया, जिसके माध्यम से केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि भारत में शिक्षण व्यवसाय की लोकप्रियता में क्रमिक गिरावट देखी जा रही है तथा अनेक युवा बेरोज़गारी एवं तीव्र प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों के कारण इसे अंतिम विकल्प के रूप में अपनाने के लिए विवश हो रहे हैं, जिनमें प्रायः शिक्षण अभिक्षमता का अपेक्षित स्तर पर अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश अध्यापक शिक्षा संस्थानों में बहु-विषयी शैक्षणिक वातावरण का अभाव दृष्टिगोचर होता है तथा ये संस्थान विश्वविद्यालयीय परिवेश से पृथक एक सीमित एवं बंद संरचना में कार्यरत हैं। साथ ही, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए कोई अद्यतन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा उपलब्ध नहीं है तथा इंटर्नशिप एवं शिक्षण-अभ्यास के लिए अब तक कोई सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत मॉडल विकसित नहीं हो सका है (सोमू सिंह, 2022)।

गुप्ता, आरती एवं पाल, संजय (2023) द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक उत्तरदायित्वः एक विश्लेषण' नामक शीर्षक पर शोध किया गया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य भारत के शैक्षिक परिदृश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की विस्तारित भूमिकाओं, बढ़ती जिम्मेदारियों तथा व्यावसायिक अपेक्षाओं के निहितार्थों का विश्लेषण प्रस्तुत करना था। शोध के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्यों में शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास तथा जवाबदेही से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों का परीक्षण करना सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 के लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति हेतु वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली की तत्परता एवं क्षमता का मूल्यांकन करना, नीति में उल्लिखित शिक्षक-संबंधी सुधारों के क्रियान्वयन में विद्यमान चुनौतियों एवं अंतरालों की पहचान करना, तथा शिक्षकों को उनकी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहयोग एवं सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु व्यवहारिक एवं क्रियान्वयन योग्य रणनीतियों की अनुशंसा करना भी इस अध्ययन के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहे।

शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन हेतु द्वितीयक आँकड़ा विश्लेषण पर आधारित गुणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिवेदनों, नीतिगत दस्तावेज़ों—जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) के प्रकाशनों—अकादमिक शोध पत्रिकाओं एवं विषय-विशेषज्ञों के मतों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया। शोध अध्ययन में किसी विशिष्ट न्यादर्श समूह का चयन नहीं किया गया, अपितु भारतीय शैक्षिक परिदृश्य तथा शिक्षक शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों पर आरोपित उभरती अपेक्षाओं एवं उत्तरदायित्वों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षकों को प्रणालीगत परिवर्तन के केंद्र में स्थापित करते हुए शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी पड़ाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह नीति प्रेरित, दक्ष एवं नवाचारोन्मुख शिक्षक कार्यबल के निर्माण की पर्याप्त क्षमता रखती है। तथापि, इन सुधारों की सफलता अनेक संरचनात्मक एवं व्यावहारिक चुनौतियों—जैसे अपर्याप्त आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण तक असमान पहुँच, अत्यधिक कार्यभार का दबाव तथा राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन में विद्यमान असमानताओं—के प्रभावी समाधान पर निर्भर करती है। अंततः, यह शोध

शिक्षकों को सशक्त एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से उनके संस्थागत समर्थन एवं व्यावसायिक विकास हेतु विभिन्न अनुशंसाओं के साथ समाप्त होता है (गुप्ता एवं पाल, 2023)।

चित्ररेखा एवं कुमार, मनोज (2021) द्वारा 'वर्तमान समय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंधों की समीक्षा एवं उपाय' नामक शीर्षक वाले शोध पत्र का अध्ययन किया गया। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य क्रमशः घटते हुए विश्वास, स्नेह, आत्मीयता तथा पारस्परिक सम्मान के कारणों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना तथा इस बढ़ती दूरी को न्यूनतम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार (दिल्ली) द्वारा किए गए प्रयासों एवं उपायों की समीक्षा प्रस्तुत करना था। शोध के अंतर्गत प्रमुख उद्देश्यों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी संबंधों की महत्ता का विश्लेषण करना, उन कारकों—जो शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों दोनों से संबंधित हैं—पर प्रकाश डालना, जिनके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में उनके मध्य पारस्परिक दूरी में वृद्धि हो रही है, तथा इस बढ़ती दूरी को कम करने के लिए राष्ट्रीय एवं दिल्ली राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का विवेचन करना सम्मिलित था।

शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन हेतु अवधारणात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें किसी विशिष्ट उपकरण अथवा मापनी का प्रयोग नहीं किया गया। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों—जैसे मणिपुर की प्रसिद्ध वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के जीवन से संबंधित प्रसंगों तथा डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों—के साथ-साथ नीतिगत पहलों, जैसे राष्ट्रीय एवं दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, का संदर्भ लेकर तार्किक एवं विश्लेषणात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक की भूमिका केवल साक्षरता अथवा औपचारिक ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ-साथ उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, उत्तरदायित्व एवं सम्मान की भावना का भी विकास करें। शिक्षकों को अपने विचारों अथवा व्यवहार के माध्यम से विद्यार्थियों पर आधिपत्य स्थापित करने के स्थान पर उनमें स्वतंत्र चिंतन, स्वायत्त निर्णय-क्षमता तथा आत्मबोध को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे अपने अंतर्निहित गुणों एवं क्षमताओं को पहचान सकें। साथ ही, शिक्षकों के लिए यह आवश्यक माना गया कि वे विद्यार्थियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन, सार्थक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करते हुए उन्हें शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी बनाएँ, क्योंकि इसी माध्यम से शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य आत्मीयता एवं निकटता का विकास संभव हो सकता है। अंततः, यह प्रतिपादित किया गया कि शिक्षक को स्वयं आदर्श व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए न केवल व्यवहारिक जीवन में, बल्कि शिक्षण सामग्री एवं पाठ्य-विषयों के माध्यम से भी अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए (चित्ररेखा एवं कुमार, 2021)।

अध्ययन के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. अध्यापक शिक्षा संस्थानों की संरचना व कार्यप्रणाली में अपेक्षित परिवर्तनों का अध्ययन करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित नवीन आयामों को स्पष्ट करना।
4. अध्यापक शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका की व्याख्या करना।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं की पहचान करना।
6. अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता के उन्नयन हेतु संभावित सुझाव व्यक्त करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रावधान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो शिक्षकों को इस सुधार प्रक्रिया का अपरिहार्य सदस्य मानती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)। नीति का लक्ष्य 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में दक्ष एवं कुशल पेशेवर अध्यापक तैयार करना है (पाटीदार, 2021; सिंह, 2022)।
'राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020' का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा व्यवस्था में उच्चतम मानकों को पुनर्स्थापित करने और शिक्षण पेशे की गरिमा लौटाने के लिए NEP 2020 ने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक युगांतरकारी एवं संरचनात्मक सुधारों के प्रावधान किए हैं, जो आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं:

1. **अध्यापक शिक्षा का बहु-विषयक संस्थानों में स्थानांतरण:** नीति यह परिकल्पना करती है कि एक उत्कृष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए बहु-विषयक (Multidisciplinary) दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसलिए, वर्ष 2030 तक, सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयक संस्थानों (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सभी एक विषय वाले (स्टैंड-अलोन) शिक्षक शिक्षा संस्थानों को भी 2030 तक बहु-विषयक संस्थानों के रूप में बदलना होगा।

2. **बी.एड. (B.Ed.) डिग्री का पुनर्गठन:** वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री हो जाएगी। यह एक 'डुअल मेजर' (Dual Major) समग्र स्नातक डिग्री होगी, जिसमें छात्रों को शिक्षा शास्त्र (Pedagogy) के साथ-साथ किसी विशिष्ट विषय (जैसे- भाषा, विज्ञान, गणित, कला आदि) का गहन ज्ञान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जो छात्र पहले ही किसी विषय में स्नातक कर चुके हैं, उनके लिए 2-वर्षीय बी.एड. तथा 4-वर्षीय बहु-विषयक स्नातक या परा-स्नातक (Master's) कर चुके छात्रों के लिए 1-वर्षीय बी.एड. का विकल्प भी इन्हीं बहु-विषयक संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

3. **अवमानक संस्थानों (Substandard TEIs) पर कठोर कार्रवाई:** न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा आयोग (2012) की टिप्पणियों को संज्ञान में लेते हुए, नीति में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि ऐसे स्टैंड-अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थान जो शिक्षण के प्रति गंभीर नहीं हैं और केवल डिग्रियां बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर विनियामक कार्रवाई की जाएगी। मानकों को पूरा न करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा और 2030 तक केवल शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ संस्थान ही कार्यरत रहेंगे।

4. **पारदर्शी प्रवेश परीक्षा एवं संकाय विविधता:** शिक्षक शिक्षा (बी.एड.) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी' (NTA) द्वारा उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षण (Entrance Exam) आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा, शिक्षक शिक्षा विभागों में संकाय (Faculty) की विविधता पर जोर दिया जाएगा, जिसमें शिक्षाशास्त्र के साथ-साथ मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और भाषाविज्ञान जैसे विषयों के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा।

5. **नवीन पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFTE):** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा NCERT के परामर्श से एक नवीन और व्यापक 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा' (NCFTE 2021) तैयार की जाएगी। बदलते समय की अपेक्षाओं को देखते हुए इस पाठ्यचर्या में प्रत्येक 5-10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा।

6. **विद्यावारिधि (Ph.D.) छात्रों हेतु शिक्षण प्रशिक्षण:** अध्यापन और शोध को बेहतर बनाने के लिए, सभी नए विद्यावारिधि (Ph.D.) शोधार्थियों के लिए अपने डोमेन के साथ-साथ शिक्षण/शिक्षाशास्त्र से संबंधित क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य होगा। उन्हें अपने डॉक्टरेट प्रशिक्षण के दौरान वास्तविक शिक्षण का अनुभव भी प्रदान किया जाएगा।

7. **सतत व्यावसायिक विकास (CPD) और मेंटरिंग:** सेवारत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास (CPD) के लिए स्वयं (SWAYAM) और दीक्षा (DIKSHA) जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों का उपयोग बढ़ाया जाएगा ताकि कम समय में मानकीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को मार्गदर्शन देने के लिए उत्कृष्ट वरिष्ठ या सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए 'सिफ़ारिश मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन' स्थापित किया जाएगा।

अतः हम कह सकते हैं कि NEP 2020 के ये प्रावधान अध्यापक शिक्षा को एकाकीपन से निकालकर समग्र उच्च शिक्षा का अभिन्न अंग बनाते हैं। यह परिवर्तन भविष्य में ऐसे शिक्षक तैयार करेगा जो बहु-विषयक सोच वाले, उच्च प्रशिक्षित और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्णतः सक्षम होंगे (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

अध्यापक शिक्षा संस्थानों की संरचना व कार्यप्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने अध्यापक शिक्षा संस्थानों (Teacher Education Institutions – TEIs) की संरचना, कार्यप्रणाली एवं गुणवत्ता संबंधी मानकों में मूलभूत एवं व्यापक परिवर्तन की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा इस क्षेत्र में व्याप्त व्यावसायीकरण की प्रवृत्तियों को समाप्त करना है (सिंह एवं तिवारी, 2021; सिंह, 2022)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को अपनी संरचनात्मक स्थिरता (Structural Stability) को सुदृढ़ करना होगा तथा उन्हें बहु-विषयक शैक्षिक संस्थानों (Multidisciplinary Educational Institutions) के रूप में विकसित एवं रूपांतरित करना अनिवार्य होगा (दीक्षित, 2021; सिंह, 2022)।

- **संरचनात्मक एवं नियामक परिवर्तन**

नीति का एक प्रमुख उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली में विद्यमान विखंडन को समाप्त करते हुए समेकित एवं बहु-विषयक शैक्षिक ढाँचे का निर्माण करना है (दाँड़गे, 2023)। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी बड़े बहु-विषयक विश्वविद्यालयों एवं सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना का प्रावधान किया गया है (पाटीदार, 2021; सिंह, 2022)। इन विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, भारतीय भाषाओं, कला एवं विज्ञान जैसे विविध शैक्षणिक विभागों के सहयोग से बी.एड. सहित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करें, ताकि भावी अध्यापकों को बहुआयामी एवं समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान किया जा सके (पाटीदार, 2021)।

नीति के अंतर्गत प्रस्तावित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नियामक परिवर्तनों में से एक यह है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) भविष्य में प्रत्यक्ष नियामक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। इसके स्थान पर, इसे प्रस्तावित भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India) की जनरल एजुकेशन काउंसिल के अधीन एक व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय (Professional Standards Setting Body) के रूप में कार्य करने की परिकल्पना की गई है (सिंह एवं तिवारी, 2021; सिंह, 2022)। यह परिवर्तन अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा भ्रष्टाचार एवं मानकहीन संस्थानों की वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को रेखांकित किया है कि पूर्ववर्ती नियामक तंत्र की सीमाओं एवं विफलताओं ने निम्न-स्तरीय अध्यापक शिक्षा संस्थानों की अनियंत्रित वृद्धि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया था (सिंह एवं तिवारी, 2021)।

- **कार्यप्रणाली एवं पाठ्यचर्यागत अपेक्षाएँ**

अध्यापक शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली को बहु-विषयक एवं अंतर्विषयक (Interdisciplinary) शैक्षिक वातावरण में संचालित किए जाने पर विशेष बल दिया गया है (पाटीदार, 2021)। पाठ्यचर्या संबंधी सुधारों के अंतर्गत भारतीयता—जिसमें भारतीय मूल्य, ज्ञान-परंपरा, लोकाचार एवं सांस्कृतिक विरासत सम्मिलित हैं—को अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से समाविष्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है (दीक्षित, 2021)। साथ ही, शिक्षकों को ई-संसाधनों के विकास, डिजिटलीकृत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के प्रभावी एकीकरण हेतु प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक माना गया है (अली, 2023)।

इसके अतिरिक्त, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को स्थानीय विद्यालयों के साथ सुदृढ़ एवं समन्वित संबंध स्थापित करने की अपेक्षा की गई है, जिससे शिक्षण-अभ्यास एवं इंटर्नशिप कार्यक्रमों का प्रभावी एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जा सके (सिंह, 2022)। नव-नामांकित विद्यावारिधि शोधार्थियों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपने शोध कार्य के संदर्भ में शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम विकास अथवा अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में क्रेडिट-आधारित अध्ययन पूर्ण करें (दीक्षित, 2021)। समग्रतः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक शिक्षा institutions से यह अपेक्षा करती है कि वे गुणवत्तापूर्ण, दक्ष एवं उत्तरदायी अध्यापकों का निर्माण सुनिश्चित करें तथा उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुरूप आवश्यक स्वायत्तता भी प्रदान करें (गुप्ता एवं पाल, 2023)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सम्मिलित नवीन आयाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) भारतीय अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 21वीं सदी की बहु-विषयक (Multidisciplinary) आवश्यकताओं एवं वैश्विक शैक्षिक अपेक्षाओं के अनुरूप रूपांतरित करने हेतु मौलिक, व्यापक एवं दूरदर्शी परिवर्तन प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षकों को मात्र ज्ञान-संप्रेषक के रूप में तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें समग्र विकास के प्रेरक, संरक्षक, मार्गदर्शक तथा चिंतनशील व्यावसायिक व्यक्तित्व के रूप में सशक्त एवं सक्षम बनाना है (गुप्ता एवं पाल, 2023)।

- **दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आधार का समावेश**

पाठ्यचर्या में प्रस्तावित सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नवीन आयामों में भारतीयता (Indian Ethos) का समावेश उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत भारतीय मूल्य, भाषाएँ, ज्ञान-परंपराएँ, लोकाचार, सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय परंपराएँ तथा संविधान में निहित

मौलिक कर्त्तव्यों को समन्वित रूप से सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा की गई है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; दीक्षित, 2021; पाटीदार, 2021; सिंह, 2022)। नीति शिक्षकों को नैतिक आचरण, मानवीय मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों—जैसे सत्य, करुणा, सहानुभूति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक स्वभाव—के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध बनाने पर विशेष बल प्रदान करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; कुमार, 2020; सिन्हा, 2020)। इस प्रकार, पाठ्यचर्या का यह आयाम चरित्र-निर्माण, सामाजिक न्याय की भावना तथा जीवन-मूल्यों के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, जिससे भौतिक उपलब्धियों के साथ-साथ मानवीय एवं नैतिक मूल्यों के संतुलित विकास को भी समान महत्त्व प्रदान किया जा सके (कुमार, 2020)।

- **शिक्षण-शास्त्र (Pedagogy) एवं कौशल विकास में नवाचार**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्यापक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) पर आधारित बनाया गया है। इसके अंतर्गत रटने की प्रवृत्ति (Rote Learning) को हतोत्साहित करते हुए रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन (Critical Thinking), पूछताछ-आधारित (Inquiry-based), खोज-आधारित (Discovery-based) तथा चर्चा-आधारित (Discussion-based) शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)। इसके अतिरिक्त, पाठ्यचर्या में कला-एकीकृत, खेल-आधारित तथा कहानी-आधारित शिक्षण दृष्टिकोणों को क्रमबद्ध एवं संरचित रूप में सम्मिलित किए जाने की अनुशंसा की गई है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; सिंह एवं तिवारी, 2021)। साथ ही, 21वीं सदी के आवश्यक कौशलों—जैसे सहयोगात्मक कार्य, सामूहिक सहभागिता, लचीलापन, प्रभावी संप्रेषण तथा समस्या-समाधान क्षमता—को अनिवार्य रूप से अध्यापक प्रशिक्षण का अभिन्न अंग बनाया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)।

- **विशिष्ट दक्षताओं का विकास एवं प्रौद्योगिकी एकीकरण**

अध्यापक-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अब कुछ विशिष्ट एवं अत्यावश्यक क्षेत्रों में व्यावसायिक दक्षता विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) से संबंधित नवीन शिक्षण-शास्त्रीय दृष्टिकोणों का समावेश किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; पाटीदार, 2021)। साथ ही, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education – ECCE) के सिद्धांतों को पाठ्यचर्या में समाहित करने तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children With Special Needs – CWSN) की शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझने हेतु आवश्यक कौशलों के विकास पर बल दिया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; सिंह, 2022; सिंह एवं तिवारी, 2021)।

तकनीकी समावेशन (ICT Integration) को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य एवं अपरिहार्य घटक बनाया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को दीक्षा एवं स्वयं जैसे डिजिटल मंचों के माध्यम से शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित करने, ई-संसाधनों का निर्माण करने तथा डिजिटल उपकरणों का प्रभावी एवं सृजनात्मक उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था की गई है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)।

इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन प्रणाली में भी व्यापक एवं संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। शिक्षकों को अब केवल योगात्मक परीक्षाओं (Summative Assessment) पर निर्भर रहने के स्थान पर योग्यता-आधारित (Competency-Based

Assessment), सतत एवं रचनात्मक मूल्यांकन (Continuous Formative Assessment), पोर्टफोलियो आधारित मूल्यांकन तथा 360-डिग्री समग्र प्रगति कार्ड (Holistic Progress Card) जैसे बहुआयामी मूल्यांकन दृष्टिकोणों के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा (गुप्ता एवं पाल, 2023; शिक्षा मंत्रालय, 2020; सिंह एवं तिवारी, 2021)।

अतः हम समग्र रूप से कह सकते हैं कि यह सभी नवीन आयाम अध्यापक शिक्षा को एक समावेशी, लचीला, उत्तरदायी एवं बहुआयामी ढाँचा प्रदान करते हैं, जिससे भावी शिक्षक परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य में शैक्षिक नवाचार एवं परिवर्तन के प्रभावी नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें (राय एवं अन्य, 2023; जोशी, 2023)।

अध्यापक शिक्षा में प्रौद्योगिकी की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education) के समस्त स्तरों पर प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग एवं समेकित एकीकरण को एक महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य घटक के रूप में स्वीकार करती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक प्रक्रियाओं, शिक्षण-अधिगम अनुभवों तथा अधिगम परिणामों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में सुधार सुनिश्चित करना है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

- **सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का समावेशन**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह सुनिश्चित करने पर बल देती है कि भावी अध्यापकों के सेवा-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों—विशेषतः बी.एड. कार्यक्रमों—में नवीनतम तकनीकी साधनों एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी का व्यापक एवं गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाए (शिक्षा मंत्रालय, 2020; अली, 2023)। नीति के अंतर्गत शिक्षकों को पारंपरिक एवं प्रमाणित शिक्षणशास्त्रीय विधियों के साथ-साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology – ICT) के प्रभावी एवं रचनात्मक उपयोग हेतु प्रशिक्षित किए जाने की अनुशंसा की गई है, ताकि वे शिक्षार्थी-केंद्रित, सहभागितापूर्ण एवं सहयोगात्मक अधिगम वातावरण का निर्माण कर सकें (शिक्षा मंत्रालय, 2020; अली, 2023; यादव एवं अन्य, 2021)।

सेवाकालीन अध्यापकों के सतत व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD) को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वयं तथा दीक्षा (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing – DIKSHA) जैसे डिजिटल मंचों के उपयोग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। DIKSHA मंच पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों हेतु उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; यादव, 2024)।

- **नवाचार, मूल्यांकन एवं भावी परिप्रेक्ष्य**

शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं उत्तरदायी बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना गया है। नीति के अनुसार, प्रौद्योगिकी का उपयोग शैक्षणिक नियोजन, प्रबंधन, प्रशासन एवं संस्थागत संचालन को अधिक संगठित एवं दक्ष बनाने के लिए किया जाएगा (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का सतत अनुश्रवण (tracking) करने तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अधिक सटीक एवं वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित सॉफ़्टवेयर के उपयोग की अनुशंसा की गई है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह स्वीकार करती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियाँ भविष्य में अधिगम की प्रकृति, प्रक्रियाओं एवं शिक्षण पद्धतियों में मौलिक परिवर्तन उत्पन्न करेंगी, जिसके प्रति शिक्षा व्यवस्था को त्वरित एवं अनुकूलनशील प्रतिक्रिया प्रदान करनी होगी। परिणामस्वरूप, अध्यापक शिक्षा संस्थानों (TEIs) के लिए यह आवश्यक माना गया है कि वे शिक्षकों को इन नवोन्मेषी एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग हेतु तैयार करें (शिक्षा मंत्रालय, 2020; कांवरिया, 2024)।

- **न्यायसंगतता एवं डिजिटल समावेशन**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डिजिटल विभाजन (Digital Divide) को कम करने तथा प्रौद्योगिकी के न्यायसंगत एवं समावेशी उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष बल प्रदान करती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)। यद्यपि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित उपकरण पारंपरिक शिक्षण की सीमाओं को कम करने एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम हैं (अली, 2023), तथापि हिंदी माध्यम के शिक्षार्थियों एवं अध्यापकों के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-संसाधनों की सीमित उपलब्धता तथा तकनीकी दक्षताओं के अभाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु शिक्षकों को ई-संसाधनों के विकास, डिजिटलीकृत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा तकनीकी दक्षताओं के उन्नयन के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक माना गया है (अली, 2023)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों और संभावनाएं

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) भारत की शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की वैश्विक आवश्यकताओं, समकालीन शैक्षिक मानकों तथा ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप पुनर्संरचित करने हेतु एक व्यापक, दूरदर्शी एवं महत्त्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस नीति में एक सशक्त, गतिशील एवं जीवंत ज्ञानवान समाज के निर्माण का स्पष्ट दृष्टिकोण निहित है, जिसके माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है (सिन्हा, 2020; वर्मा, 2024)।

- **संभावनाएँ**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक सुधारों की दिशा में अभूतपूर्व संभावनाओं का उद्घाटन करती है। यह नीति शिक्षकों को शैक्षिक परिवर्तन की केंद्रीय शक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उनकी गरिमा, व्यावसायिक स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने पर बल देती है (सिंह, 2022; गुप्ता एवं पाल, 2023)। इसके अंतर्गत समग्र, बहु-विषयक एवं अनुभवात्मक अधिगम (Experiential Learning) को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता एवं समस्या-समाधान जैसी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास की अपेक्षा की जाती है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)।

इसके अतिरिक्त, सतत व्यावसायिक विकास को संस्थागत रूप से अनिवार्य बनाते हुए तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के विकास पर बल देकर शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति, दक्षता-विकास तथा करियर प्रगति को अधिक संगठित एवं सुदृढ़ बनाया गया है (सिंह एवं भारद्वाज, 2021; सिंह, 2022; गुप्ता एवं पाल, 2023)। साथ ही, नीति शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, समता

एवं समावेशिता को विशेष प्राथमिकता प्रदान करती है, विशेषकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत एवं समावेशी बनाया जा सके (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

- **चुनौतियाँ**

यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी संभावनाओं से परिपूर्ण है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अनेक संरचनात्मक, वित्तीय एवं व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इनमें सर्वाधिक प्रमुख चुनौती वित्तीय प्रतिबद्धता से संबंधित है। नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तथापि यह लक्ष्य अभी तक पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सका है (शिक्षा मंत्रालय, 2020; कुमार, 2020; वर्मा, 2024)। जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की स्थापना के लिए, विशेष रूप से अध्यापक प्रशिक्षण, तकनीकी समावेशन एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु व्यापक वित्तीय निवेश की आवश्यकता है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

द्वितीय प्रमुख चुनौती आधारभूत संरचना एवं डिजिटल विभाजन से संबंधित है। विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट संपर्क, विद्युत आपूर्ति तथा डिजिटल उपकरणों की सीमित उपलब्धता ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा के न्यायसंगत एवं समावेशी क्रियान्वयन में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करती है (अग्रवाल एवं सिंह, 2023; आर्य एवं पूजा, 2020)। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्न-गुणवत्ता वाले स्वतंत्र अध्यापक शिक्षा संस्थानों (Teacher Education Institutions – TEIs) को बंद करने अथवा उन्हें बहु-विषयक संस्थानों में रूपांतरित करने का लक्ष्य भी एक जटिल नियामक एवं संरचनात्मक चुनौती के रूप में उभरता है, जिसका प्रभावी कार्यान्वयन स्पष्ट, सुसंगत एवं सक्षम कानूनी प्रावधानों के अभाव में कठिन सिद्ध हो सकता है (दीक्षित, 2021; सिंह एवं तिवारी, 2021)।

इन चुनौतियों के प्रभावी समाधान हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों तथा समाज के अन्य सभी हितधारकों के मध्य दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत प्रतिबद्धता तथा समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी (राय एवं अन्य, 2023; गुप्ता एवं पाल, 2023), ताकि इस महत्त्वाकांक्षी एवं परिवर्तनकारी नीति को व्यवहारिक स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा सके।

अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता के उन्नयन हेतु संभावित सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक व्यापक, संरचित एवं दूरदर्शी रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस दिशा में अध्यापक शिक्षा के प्रभावी उन्नयन हेतु आधारभूत, संरचनात्मक तथा प्रणालीगत सुधारों का समुचित एवं सुदृढ़ क्रियान्वयन आवश्यक माना गया है।

प्रथम, यह आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों के गुणवत्ता मानकों को कठोरता एवं प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप निम्न-स्तरीय अथवा अवमानक (substandard) स्वतंत्र अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विरुद्ध कठोर नियामकीय कदम उठाए जाने चाहिए, जिनमें आवश्यकता पड़ने पर ऐसे संस्थानों को बंद करने की कार्यवाही भी सम्मिलित हो (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)। गुणवत्ता आश्वासन के उद्देश्य से सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए आधारभूत संरचना, तकनीकी संसाधनों तथा संकाय विकास में पर्याप्त निवेश करना आवश्यक होगा। साथ ही, नीति के अनुरूप इन संस्थानों को अनिवार्य रूप से बहु-विषयक शैक्षिक संस्थानों के साथ समेकित किए जाने की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए (पाटीदार, 2021; सिंह, 2022)।

पाठ्यचर्या एवं व्यावसायिकता के स्तर पर यह अपेक्षित है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में भारतीय मूल्य, लोकाचार, सांस्कृतिक विविधता एवं ज्ञान-परंपराओं का समुचित समावेशन किया जाए, ताकि भावी अध्यापक भारत की बहुलतावादी एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बन सकें (दीक्षित, 2021; पाटीदार, 2021; सिंह, 2022; शिक्षा मंत्रालय, 2020)। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित बनाए जाने के साथ-साथ अध्यापकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संबंधी कौशलों में गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना भी आवश्यक है (अली, 2023)।

व्यावसायिक विकास एवं स्वायत्तता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं संदर्भगत प्रासंगिकता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें मिश्रित अधिगम दृष्टिकोण को प्रभावी रूप से समाविष्ट किया जाए (गुप्ता एवं पाल, 2023)। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनुभवी, वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त उत्कृष्ट संकाय सदस्यों की सहभागिता के माध्यम से एक राष्ट्रीय परामर्श मिशन की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे नवोदित शिक्षकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक समर्थन तथा सतत परामर्श प्राप्त हो सके (शिक्षा मंत्रालय, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)।

साथ ही शिक्षकों को पाठ्यचर्या, शिक्षण-विधियों तथा अधिगम रणनीतियों के चयन में अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे अपनी कक्षा, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्थानीय समुदाय की परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रभावी एवं संदर्भानुकूल शिक्षण सुनिश्चित कर सकें (सिन्हा, 2020; गुप्ता एवं पाल, 2023)। समान रूप से, शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठ मापदंडों एवं प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है (सिंह एवं भारद्वाज, 2021; सिंह, 2022)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित उस अनुशंसा का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत अध्यापकों को जनगणना, निर्वाचन अथवा अन्य गैर-शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यों से मुक्त रखा जाए, ताकि वे अपना पूर्ण समय एवं ऊर्जा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास पर केंद्रित कर सकें (सिन्हा, 2020; सिंह, 2022)।

समग्रतः हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सुझाव एक सुदृढ़, उत्तरदायी एवं समर्थ अध्यापक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे, जो शिक्षकों को 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों का सामना करने हेतु आवश्यक कौशल, व्यावसायिक सम्मान, प्रेरणा एवं संस्थागत समर्थन प्रदान करेगा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में व्यापक सुधार संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 भारतीय अध्यापक शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की वैश्विक और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्संरचित करने का एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी प्रयास है। इस नीति ने यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी बुनियादी और संरचनात्मक सुधार के केंद्र में सशक्त एवं सक्षम शिक्षक ही होने चाहिए। नीति द्वारा प्रस्तावित बहु-विषयक 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम, अवमानक (substandard) संस्थानों पर कठोर विनियामक कार्रवाई तथा सतत व्यावसायिक विकास (CPD) व योग्यता-आधारित मूल्यांकन जैसे कदम शिक्षण पेशे की खोई हुई गरिमा और गुणवत्ता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में भारतीय मूल्यों,

लोकाचार और नवीनतम प्रौद्योगिकी (ICT) व कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश भावी शिक्षकों को बहुआयामी और तकनीकी रूप से दक्ष बनाएगा।

यद्यपि इसके सफल क्रियान्वयन के मार्ग में आधारभूत संरचना का अभाव, वित्तीय निवेश (GDP का 6% लक्ष्य) और डिजिटल विभाजन जैसी कुछ गंभीर चुनौतियां विद्यमान हैं, फिर भी केंद्र व राज्य सरकारों तथा सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों और दृढ़ इच्छाशक्ति से इन पर पार पाया जा सकता है।

NEP 2020 के ये सुधार एक सुदृढ़, उत्तरदायी और समर्थ अध्यापक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगे। यह शिक्षकों को आवश्यक कौशल, व्यावसायिक स्वायत्तता और सम्मान प्रदान कर भारत को एक 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को पूर्ण करेगा।

सन्दर्भ सूची

- Agrawal, P. & Singh, D.G., (2023). डिजिटल विभाजन: संप्रत्ययात्मक अध्ययन. International Journal Of Creative Research Thoughts (IJCRT). 11(5), 6111-618. https://www.researchgate.net/publication/382878028_dijitala_vibhajana_sampratyayatmaka_adhyayana_Digital_Vibhajan_Sampratyayaatmak_Adhyayan
- अली, एम०एम० (2023). ऑनलाइन शिक्षण में हिन्दी माध्यम के विद्यार्थी- शिक्षकों की कठनाइयाँ एवं समाधान.भारतीय आधुनिक शिक्षा, 44 (1), 84-93. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_July_2023.pdf
- अहमद, बी० एवं कुमार, ए० (2020). कोरोना महामारी मेंऑनलाइन शिक्षा की भमिू का, चनुौतियाँ और भविष्य एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(1), 40-50. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BASJuly2020.pdf
- आर्य, एस० एवं पूजा (2020). ऑनलाइन शिक्षण अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की चनुौतियाँ तथा समाधान. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(1), 30-39. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BASJuly2020.pdf
- कुमार, एम० एवं कुमार, एम० (2020). शिक्षक-प्रशिक्षकों की कार्य संतुष्टि एवं संगठनात्मक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(1), 73-88. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BASJuly2020.pdf

- कुमार, वी० एवं सिंह, एस० पी० (2020). सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए कक्षागत अंतरः क्रिया प्रतिमान का निर्माण. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(2), 100-111. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Oct20.pdf
- कुमार, एन० (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीयता. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(2), 131-140. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Oct20.pdf
- कुमार, एस० एवं राम, पी०एस० (2024). अध्यापक शिक्षा संस्थानों के शिक्षक-प्रशिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षण अभिवृति का अध्ययन. प्राथमिक शिक्षक. 48 (1), 91-101. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakJanuary2024.pdf
- कंवरिया, वी०के० (2024). प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए आर्टफिशियल इन्टेलिजन्स संभावनाएं और चुनौतियां. प्राथमिक शिक्षक. 48 (2), 148-159. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakApril2024.pdf
- कुमार, ए० एवं कुमार, आर० (2024). हिन्दी भाषा की पाठ्यपस्तुक 'सारं गी 2' शिक्षकों के शिक्षण में चनुौतियाँ और सुझाव. प्राथमिक शिक्षक. 48 (3), 48-53. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakJuly2024.pdf
- खान, ए० ए० एवं उमैर, एम० (2021). माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 42 (1), 07-16. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_July_2021.pdf
- खान, ए० ए० एवं उमैर, एम० (2021). प्राथमिक शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में ऑनलाइन शिक्षण विशेषताएँ एवं चनुौतियाँ. प्राथमिक शिक्षक. 46 (3), 5-16. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakJuly2022.pdf
- खान, एम० (2024). प्राथमिक शिक्षक के अपेक्षित गुण एवं कौशल. प्राथमिक शिक्षक. 48 (2), 95-101. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakApril2024.pdf

- गुप्ता,ए० एवं पाल, एस० (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक उत्तरदायित्व ;एक विश्लेषण. शोधकोश; जर्नल ऑफ विसूअल एंड पेरफॉर्मीनग आर्ट्स. 4(2), 4722–4730. https://www.granthaalayahpublication.org/Arts-Journal/ShodhKosh/article/view/5614
- चित्ररेखा एवं कुमार, एम० (2021). वर्तमान समय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के संबंधो की समीक्षा एवं उपाय. प्राथमिक शिक्षक. 45 (4), 76-88. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakOctober2021.pdf
- चित्ररेखा, सहरावत, एम० एवं रॉय, एम० एम० (2022). दिल्ली शिक्षा निदेशालय के विद्यालयों में आयोजित अभिभावक - शिक्षक बैठक की चुनौतियों का अध्ययन एवं समाधान. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 43 (2), 108-119. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Oct2022.pdf
- जोशी, एल० एम० (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान समस्याओ का विश्लेषणात्मक अध्ययन. प्राथमिक शिक्षक. 47(3), 51-59. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/Prathmik_Shikshak_July_2023.pdf
- तेवतिया, ए० के० (2020). दिल्ली के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और शिक्षको पर लॉकडाउन के प्रभाव का अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(1), 23-29. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BASJuly2020.pdf
- द्विवेदी, ए० के० (2021). वैकल्पिक के अधयापकों के वृवतिक ववकास का अधययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(4), 74 -86. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_April2021.pdf
- दीक्षित, एम० एन० (2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा अपेक्षा, चुनौतियाँ एवं समाधान. भारतीय आधुनिक शिक्षा,41(3), 5-16.
- https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_January_2021.pdf
- दुबे, पी०, शंभरकर, डी० ए० एवं चौधरी, एस० (2020). शिक्षा केअधिकार अधिनियम,2009 के संदर्भ में विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृति का अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 40 (4), 91-101.

https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_April_2020.pdf

- दाँड़गे, एस० एन० (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप और शिक्षितों का भविष्य. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसपलनेरी रिसर्च. 5 (5). 1-9. https://www.ijfmr.com/research-paper.php?id=7670
- धाबर्डे, एस०बी, सिंह, एस० पी० एवं गंगवार, एस०(2021). उच्च शिक्षा पर मूल्यांकन सुधारों के प्रति अध्यापकों का प्रत्यक्षण.भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(4), 106 -118. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_April2021.pdf
- पाटीदार, जे० के० (2020). शिक्षक शिक्षा द्वारा सं धारणीय विकास की पहल. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 40(4), 26-36. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_April_2020.pdf
- पाटीदार, जे०के० (2021). चार वर्षीय एकीकृ त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम उद्भव से अब तक.भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41 (4), 59-73. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_April2021.pdf
- मिश्रा, आर० एवं यादव, एस० (2023). मनन शील शिक्षण चिंतन- मनन एवं अनुभवों के अभ्यास से समर्थ अध्यापक.भारतीय आधुनिक शिक्षा, 43 (3), 115-120. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Jan2023.pdf
- यादव, पी० (2024). विद्या प्रवेश— स्कूली शिक्षा को सदृढ़ बनाने हेतु बनियादी स्तर के शिक्षकों के लिए उपयोगी कार्यक्रम.प्राथमिक शिक्षक. 48 (3), 27-38. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakJuly2024.pdf
- यादव, वी०के०, त्यागी, पी० एवं त्यागी, एस०के० (2021). स्नातक स्तर के विद्यार्थी-शिक्षकों की हिन्दी भाषा कौशल उपलब्धि के आधार पर मिश्रित शिक्षण-अधिगम उपागम की प्रभावशीलता. भारतीय आधुनिक शिक्षा,41 (3), 56-68. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_January_2021.pdf

- राजौरा, आर०के० (2022). विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की इतिहास विषय के प्रति अभिवृति एवं समस्याएं एक अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 42(3),114 -128. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_January_2022.pdf
- रॉय, एस०,जायसवाल,एस०, त्रिपाठी, वि०एन० एवं सिंह, एच० (2023). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रति विश्व विद्यालयी शिक्षकों एवं शोधार्थियों का दृष्टिकोण. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 44 (1), 94-112. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_July_2023.pdf
- रितिका. (2020). बहु भाषी भारत में मात्रभाषा का महत्व और उसकी शिक्षा में उपयोगिता. प्राथमिक शिक्षक. 44(2), 57-61. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathamikShiksha_April_2020.pdf
- लता, जी०एस०ए० एवं सुभाष, पी०डी० (2020). माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भाषा दक्षता के विकास में स्मार्टफ़ोन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 40(3), 76-88. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Jan_2020.pdf
- वर्मा, पी०के० (2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियाँ और अवसरों पर एक विश्लेषणतामक अध्ययन. प्राथमिक शिक्षक. 48 (2), 77-85. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakApril2024.pdf
- शिक्षा मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. भारत सरकार. 01-66. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
- शर्मा, ए० (2020). माध्यमिक विद्यालयों में भाषा अध्यापन करने वाले अध्यापकों के 'कृत्य संतोष' व भूमिका प्रभावशीलता'का अध्ययन. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 40 (3), 47-59. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_Jan_2020.pdf
- शुक्ला, जी. एवं कुमारी, एस. (2020). अध्यापन पेशे के प्रति शिक्षक-प्रशिक्षकों की वचनबद्धता एवं जवाबदेही. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(1), 62-72. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BASJuly2020.pdf

- सिन्हा, पी० (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(1), 120-128. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BASJuly2020.pdf
- सुहाने, ए० (2021). कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गणित शिक्षण पर शिक्षकों का दृशतिकोण,बाधाएँ तथा समाधान. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 41(3), 83-94. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_January_2021.pdf
- सिंह, जी. एवं तिवारी,पी. के.(2021). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय - एक प्रयास. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 42 (1), 94-101. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_July_2021.pdf
- सिंह,जे० एवं भारद्वाज, बी०पी०(2021). परफा ॅममेंस गेमिंग इंडेक्स के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में स्कूली अध्ययपकों की चुनौतियों का विश्लेषण तथा सार्थक सुझाव. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 42(1).102 - 112. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_July_2021.pdf
- सिंह, एस० (2022). अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं का विश्लेषण एवं क्रियान्वयन की संभावित रूपरेखा. भारतीय आधुनिक शिक्षा, 42(4),67-79. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/bhartiyaadhunikshiksha/BAS_April2022.pdf
- सुहाने,ए०(2024). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अपेक्षाएं, चुनौतियाँ और समाधान. प्राथमिक शिक्षक.48 (1), 45-54. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakJanuary2024.pdf
- सिंह, के०, सागर, पी० एवं सिंह, बी०(2024). परिषदीय विद्यालयों में निपुण भारत मिशन की कार्यान्वयन स्थिति एवं चुनौतियों का अध्ययन.प्राथमिक शिक्षक. 48 (3), 12-26. https://ncert.nic.in/pdf/publication/journalsandperiodicals/prathmikshikshak/PrathmikShikshakJuly2024.pdf